प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नागर विकास अभिकरण,
लखनऊ।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊः दिनाँक- 31 दिसम्बर, 2001

विषय : परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि जनपद स्तर पर परियोजना अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को छोड़कर अन्य समस्त कर्मचारियों का वेतन आहरित कर लिया जाता है। परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों का वेतन सूडा मुख्यालय से आहरित कर मुख्यालय पर ही भुगतान किया जाता है। फलस्वरूप उन्हें केवल वेतन लेने के लिए सूडा मुख्यालय बार-बार आना पड़ता है जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होने के साथ ही समय एवं धन का भी अपव्यय होता है एवं तरह-तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होती है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था समाप्त करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि तात्कालिक प्रभाव से परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों का भी वेतन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा आहरित करके वितरित किया जावेगा। इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों के वेतन हेतु वांछित धनराशि आगणित करके पर्याप्त समय पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को वेतन मद में धनराशि उपलब्ध करा दिया जाये जिससे कि इन अधिकारियों के वेतन का भी भुगतान समय से किया जाना जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अति आवश्यक शासकीय कार्य से यदि सम्बन्धित परियोजनाधिकारी/सहायक परियोजनाधिकारी का मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त किया जावे।

भवदीय,
एस.आर.लाखा
सचिव

संख्या-5133/69-1-2001-20 (सा.) 2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस. आर. लाखा
सचिव